1994(2) eILR(PAT) SC 1

भारत के संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत संदर्भ, एसआर एम मेघा चंद्र सिंह, अध्यक्ष, मणिपुर सेवा आयोग के खिलाफ आरोपों पर जांच और रिपोर्ट के संबंध में।

18 फ़रवरी 1994

[एम.एन. वेंकटचलैया, सी.जे., एस.आर. पांडेयान, एस, मोहन, जी.एन. रे और फैजान उद्दीन, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 317–भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ–लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष–दुर्व्यवहार का आरोप–क्या पद से हटाया जा सकता है–उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए जाने वाले साक्ष्य –निर्देश और दिशानिर्देश दिए गए हैं।

भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत इस न्यायालय को जांच और रिपोर्ट के लिए भेजा था कि क्या मणिपुर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 'एम' को दुर्व्यवहार के आधार पर पद से हटा दिया जाना चाहिए। विभिन्न आरोप लगाए गए थे उनके खिलाफ कुछ प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उम्मीदवारों के प्रश्नपत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने, मौखिक परीक्षा में अपनी पसंद के उम्मीदवारों का पक्ष लेने और रिश्वत लेने का आरोप है।

संदर्भ के लंबित रहने के दौरान, 'एम' सेवानिवृत्त हो गए और सरकार ने संदर्भ पर इस न्यायालय के निर्णय के अधीन उनके सेवानिवृत्ति लाभों को अनंतिम रूप से मंजूरी दे दी।

'एम' ने तर्क दिया कि इस संदर्भ के दूरगामी प्रभाव होंगे क्योंकि यह उनकी सेवानिवृत्ति के तथ्य को विश्वसनीयता प्रदान करता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दी थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनके द्वारा की गई नियुक्तियों पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया और चयनित व्यक्ति 10 वर्षों से अधिक समय से अपने पद पर बने हुए हैं; और रिश्वत लेने का आरोप झूठा था.

इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश और दिशानिर्देश दिए:

1. भारत के संविधान (1983] 4 एससीसी 258) के अनुच्छेद 317(1) के तहत संदर्भ में बताई गई प्रक्रिया को अपनाना उचित है। अनुच्छेद 317 के तहत विचार की गई जांच स्वयं तथ्यों की है ताकि इस न्यायालय को सक्षम बनाया जा सके। इस सवाल पर फैसला सुनाने के लिए कि क्या मणिपुर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हुए हैं। इसलिए, संदर्भ के संबंध में साक्ष्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए जाएंगे जिन्हें नामांकित गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चार सप्ताह के भीतर किया जाएगा। (41 ए·बी)

2. इस न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र को संबंधित गवाहों के मुख्य परीक्षण के रूप में माना जाएगा। दर्ज किए जाने वाले साक्ष्य उन गवाहों की जिरह तक सीमित रहेंगे जिन्होंने इस न्यायालय के समक्ष हलफनामे दायर किए हैं। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय की अनुमति के बिना, किसी भी व्यक्ति, जिसने इस न्यायालय में हलफनामा दाखिल नहीं किया है, से गवाह के रूप में पूछताछ या जिरह नहीं की जाएगी। जिन गवाहों ने इस न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया है, उन्हें जिरह के उद्देश्य से न्यायाधीश द्वारा अपने न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बुलाया या अनुरोध किया जा सकता है। कार्यवाही सामान्यतः गुवाहाटी में होगी। हालाँकि, यदि न्यायाधीश इसे आवश्यक या सुविधाजनक समझता है तो साक्ष्य किसी अन्य स्थान पर दर्ज किया जा सकता है। किसी विशेष साक्ष्य की स्वीकार्यता और प्रासंगिकता से संबंधित प्रश्न का निर्णय इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
[41 सी–जी.]

सलाहकार क्षेत्राधिकार: 1985 का विशेष संदर्भ संख्या 1।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत।

याचिकाकर्ता की ओर से सुश्री इंदिरा जयसिंह, पी.एच. पारेख और सुश्री बीना माधवन।

उत्तरदाता की ओर से वी.सी. महाजन और सुश्री एस. जननी।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया।

यह संदर्भ दिनांक 30.1.1985 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जांच और रिपोर्ट के लिए दिया गया है कि क्या मणिपुर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री मेघ चंद्र सिंह को कदाचार के आधार पर आयोग के अध्यक्ष के पद से हटाया जाना चाहिए।

संदर्भ का क्रम इस प्रकार है:

"जबकि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को सूचित किया है कि उन्हें मणिपुर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री मेघ चंद्र सिंह के खिलाफ विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिल रही थीं, जिसमें उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के बारे में संदेह व्यक्त किया गया था।

और जबकि भारत सरकार को यह आवश्यक लगा कि उसे ऐसे सबूत इकट्ठा करने की दृष्टि से एक केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से आरोपों की जांच करानी चाहिए जो उपलब्ध हो सकते हैं और खुद को संतुष्ट करने के लिए कि वास्तव में प्रथम दृष्टया मामला है, उसे सौंपा गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच रिपोर्ट देनी है।

और जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, श्री मेघ चंद्र सिंह का आचरण बोर्ड से ऊपर नहीं दिखता है और इसके अलावा श्री मेघ चंद्र सिंह ने जांच अधिकारी को आवश्यक जांच से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया, जो उनकी व्यक्तिगत हिरासत में थी।

और जबकि मणिपुर सरकार ने अपना अनुरोध दोहराया है कि आरोपों की गंभीरता के कारण राज्य सरकार एक पूर्ण जांच की इच्छा रखती है ताकि वास्तविक सच्चाई सामने आ सके और इसमें शामिल मुद्दों को सभी संबंधितों की संतुष्टि के अनुसार सुलझाया जा सके।

और जबकि मैं मेरे सामने उपरोक्त संदर्भित सामग्रियों से संतुष्ट हूं कि यह आवश्यक है कि उक्त आरोपों की जांच की जाए;

इसलिए, अब, संविधान के अनुच्छेद 317 के खंड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं जैल सिंह, भारत का राष्ट्रपति, इसके द्वारा जांच और रिपोर्ट के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ लेता हूं कि क्या श्री मेघा चंद्र सिंह मणिपुर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को दुर्व्यवहार के आधार पर आयोग के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाना चाहिए।

नई दिल्ली
दिल्ली 30 जनवरी, 1985 एस.डी.

(जेल सिंह)
भारत का राष्ट्रपति

श्री मेघचन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोप इस प्रकार हैं:

"(ए) यह कि कुछ उम्मीदवारों को फायदा दिखाने के लिए कि सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) और सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के पदों के लिए संभावित उम्मीदवारों की मार्कशीट के साथ मणिपुर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के कार्यालय में छेड़छाड़ व जालसाजी की गई।

(बी) सितंबर, 1981 में आयोजित मणिपुर सिविल सेवा/मणिपुर पुलिस सेवा परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी। परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत और अध्यक्ष की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखे गए मार्कशीट और सारणीबद्ध चार्ट के साथ भी छेड़छाड़ की गई और कुछ उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए जालसाजी की गई।

(सी) अध्यक्ष ने मौखिक परीक्षा में अंकन की एक नई प्रणाली शुरू की जिसमें अंक केवल अध्यक्ष द्वारा दर्ज और हस्ताक्षरित किए जाते थे। आयोग के अन्य सदस्यों या सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों को मार्कशीट पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं थी। चेयरमैन ने मौखिक परीक्षा में इस नई आम सहमति प्रणाली की शुरुआत की ताकि वह अपनी पसंद के उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से मार्कशीट में हेरफेर कर सकें।

(6) श्री एल. इबोमाचा सिंह नामक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने 15,000/– रु. रुपये की रिश्वत उप–डिप्टी कलेक्टर, मणिपुर सरकार के रूप में चयन के लिए अध्यक्ष को दी थी।

इसी बीच श्री मेघचन्द्र सिंह सेवानिवृत्त हो गये और राज्य को इस मामले में उचित निर्देश लेने का निर्देश दिया गया। श्री मेघा चंद्र सिंह ने इस आशय का प्रतिवाद दायर किया कि इस आदेश के दूरगामी प्रभाव हैं क्योंकि यह 19.1.1987 को उनकी सेवानिवृत्ति के तथ्य को विश्वसनीयता प्रदान करता है, जिसे राज्यपाल ने अपने आदेश दिनांक 5.1.1987 द्वारा पहले ही सेवानिवृत्ति की अनुमति दे दी थी। 31.7.1991 को, सरकार ने अंतिम पेंशन और संदर्भ पर इस न्यायालय के निर्णय के अधीन अनंतिम रूप से स्वीकार्य पेंशन के भुगतान को मंजूरी दे दी।

आरोपों पर उनका आग्रह है कि उनके द्वारा की गई नियुक्तियों पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। चयनित व्यक्ति 10 वर्षों से अधिक समय से अपने पद पर बने हुए हैं। रिश्वत लेने का आरोप झूठा, निराधार और दुर्भावनापूर्ण है।

इन परिस्थितियों में, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 317(1), [1983) 4 एससीसी 258 के तहत संदर्भ में बताई गई प्रक्रिया को अपनाना उचित समझते हैं। अनुच्छेद 317 के तहत विचाराधीन जांच स्वयं तथ्यों की है ताकि यह न्यायालय इस प्रश्न पर निर्णय दे सके कि क्या मणिपुर सेवा आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित होते हैं। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि संदर्भ के संबंध में साक्ष्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए जाएंगे, जिन्हें गौहाटी उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा। नामांकन इस आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर किया जा सकता है।

साक्ष्य दर्ज करने में, विद्वान न्यायाधीश निम्नलिखित दिशानिर्देश अपना सकते हैं:

i) इस न्यायालय में दायर किए गए हलफनामों को संबंधित गवाहों की मुख्य परीक्षा के रूप में माना जाएगा।

(ii) विद्वान न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए जाने वाले साक्ष्य उन गवाहों की जिरह तक सीमित होंगे जिन्होंने हमारे सामने हलफनामे दायर किए हैं। अन्य शब्दों में, इस न्यायालय की अनुमति के बिना, किसी भी व्यक्ति, जिसने इस न्यायालय में हलफनामा दाखिल नहीं किया है, को गवाह के रूप में जांच या प्रतिपरीक्षा नहीं की जाएगी।

(iii) जिन गवाहों ने इस न्यायालय में हलफनामा दायर किया है, उन्हें जिरह के उद्देश्य से विद्वान न्यायाधीश द्वारा उनके न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बुलाया या अनुरोध किया जा सकता है। कार्यवाही सामान्यतः गुवाहाटी में होगी। हालाँकि, साक्ष्य को किसी अन्य स्थान पर दर्ज किया जा सकता है यदि विद्वान न्यायाधीश इसे आवश्यक या सुविधाजनक मानते हैं।"

किसी विशेष साक्ष्य की स्वीकार्यता और प्रासंगिकता से संबंधित प्रश्न का निर्णय इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

सुनवाई की पहली तारीख सोमवार, 4 अप्रैल, 1994 को सुबह 11 बजे तय की गई है। इसके बाद गवाही पूरी होने तक यह दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहेगी।

याचिका निस्तारित